

जरिये ई-मेल
कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर (राजस्थान)

कार्यालय आदेश

क्रमांक: 59

दिनांक: 4/2/23

माह फरवरी 2023 के निम्नलिखित राजकीय अवकाशों में निम्नानुसार न्यायिक अधिकारीगण की उनके नाम के आगे अंकित दिनांक को अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर प्रातः 11 बजे से दोपहर 02 बजे तक अपने न्यायालय में बैठकर एवं आगामी दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय पर रहकर जेसी/पीसी रिमांड/प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य संपादित करेंगे -

क्र.सं.	अधिकारी का नाम व पद	ड्यूटी दिनांक	मुख्यालय जैसलमेर/पोकरण
1.	श्री रिछपालसिंह गिला, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	05.02.2023 11.02.2023 12.02.2023	जैसलमेर
2.	श्री सीताराम चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	18.02.2023 19.02.2023 25.02.2023 26.02.2023	जैसलमेर
3.	श्री किशन सांदू, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण	11.02.2023 18.02.2023 19.02.2023	पोकरण
4.	डॉ. श्री अजय कुमार विश्वाई, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण	05.02.2023 12.02.2023 25.02.2023 26.02.2023	पोकरण

नोट 01. रिमांड ड्यूटी अधिकारी के अत्यावश्यक कारणों से मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हो पाने पर ड्यूटी समय से पूर्व ही इस कार्यालय को एवं लिंक अधिकारी को सूचित करना होगा। ऐसी दशा में उनके स्थान पर लिंक अधिकारी/अग्रिम लिंक अधिकारी द्वारा रिमांड ड्यूटी कार्य संपादित किया जायेगा।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर


क्रमांक: - Email..

दिनांक: 4/2/23

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है -

- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर।
- जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
- जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि जिले में कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/प्रभारी अधिकारी आबकारी थाना को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
- डॉ श्री अजय विश्वाई, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।

5. श्री सीताराम चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
6. श्री रिछपालसिंह, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
7. श्री किशन सांदू, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।
8. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।
9. न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
10. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
11. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।
12. सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर।
13. पुलिस कंट्रोल रूम, जैसलमेर।
14. अध्यक्ष अभिभाषक परिषद, जैसलमेर।
15. उपकारागृह, जैसलमेर।
16. प्रभारी अधिकारी वायरलेस, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि इस मैसेज को सभी आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
17. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड करें।
18. कार्यालय प्रति।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर